

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 135/2018 प्रार्थना पत्र

प्राधिकृत अधिकारी, मुख्य प्रबन्धक,
भारतीय स्टेट बैंक, एस.ए.एम.बी.-द्वितीय,
18/4 आर्य समाज रोड़, करोल बाग
नई दिल्ली-110005

—प्रार्थी

उनवान

बनाम 1. मै० मेक्सीमम सिन्थेटिक्स प्रा०लि० कार्यालय
संख्या-135, अंबाजी वस्त्र बाजार, अजमेर
रोड़, भीलवाड़ा
2. श्री कैलाश पिता भोजराज चण्डक नि०
606, युनिक सांघी अपार्टमेन्ट, महावीर नगर,
टोंक रोड़ जयपुर
3. श्री शिवरतन पिता भोजराज चण्डक नि० 6,
सुराना हाउस, न्यू हाउसिंग बोर्ड, शास्त्रीनगर
भीलवाड़ा

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण
और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थित:- श्री हनुवन्तसिंह -अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक : 08/08/2018

प्राधिकृत अधिकारी, मुख्य प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, एस.ए.एम.बी.
-द्वितीय, 18/4 आर्य समाज रोड़, करोल बाग नई दिल्ली-110005 की ओर से यह प्रार्थना
पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित
प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया। जिसमें प्रार्थी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर निवेदन
किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थीगण को ऋण सुविधा प्रदान की थी। उक्त ऋण के पेटे में
प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थी सं० 1 के नाम पर ग्राम आरजिया तहसील भीलवाड़ा में आ०नं०
390/1 रकबा 4.00 बीघा भूमि पर स्थित औद्योगिक फैक्ट्री एवं आ०नं० 401 रकबा 2 बीघा
2 बिस्वा की लीजडीड जिला उद्योग केन्द्र भीलवाड़ा से अप्रार्थी संख्या 01 के नाम जारी
होकर दिनांक 01.05.2004 को पंजीबद्ध है। इसी तरह ग्राम भदालीखेड़ा की आराजी नं०
724/1 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा की लीजडीड जिला उद्योग केन्द्र भीलवाड़ा से अप्रार्थी
संख्या 01 के नाम जारी होकर दिनांक 17.11.2007 को पंजीबद्ध है तथा ग्राम माण्डल स्टेशन
नगर, ओवर ब्रिज के पास में स्थित आ०नं० 10029/7869 रकबा 01 बीघा 5 बिस्वा की
लीज डीड जिला उद्योग केन्द्र भीलवाड़ा से अप्रार्थी संख्या 01 के नाम जारी होकर दिनांक
21.05.2008 को पंजीबद्ध होकर स्वामित्व की है। उपरोक्त समस्त भूमियां मय इन पर स्थित
औद्योगिक फैक्ट्री भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है को रहन रखा
गया। उक्त आवासीय सम्पत्ति/भवन जो कि अप्रार्थी संख्या 1 के स्वामित्व की होने से रहन

रखा गया । अप्रार्थीगण के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया ।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थीगण ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की । प्रार्थी ने ऋणी के खाते को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है । जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है ।

प्रार्थी अधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है । किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है । प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं:-

1. रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करवावे ।

2. आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ-पत्र पर दिये जा रहे हैं यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा ।

निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे । आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो । रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा